न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 28/2022

बउनवान

1. कृष्णमुरारी पुत्र
2. राजेन्द्र पुत्र
3. कलावती पुत्री
4. सोसरबाई पत्नि रामस्वरूप जातिगण नागर धाकड़ निवासीगण बमूलिया जोगियान तहसील अन्ता जिला बारां (अपीलांट्स)

बनाम

1. मोहन पुत्र चन्दा जाति नागर धाकड़ निवासी बमूलिया जोगियान
2. परमानन्द पुत्र बालमुकन्द जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान
3. उमाशंकर पुत्र बनवारी जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान
4. प्रमोद कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान तहसील अन्ता (रेंस्पोडेंट्स)
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बारां

अपील विरूद्ध इन्तकाल नंबर 703 दिनांक 21.01.2022 ग्राम बमूलिया जोगियान नायब तहसीलदार अन्ता

प्रकरण संख्या 29/2022

बउनवान

1. कृष्णमुरारी पुत्र
2. राजेन्द्र पुत्र
3. कलावती पुत्री
4. सोसरबाई पत्नि रामस्वरूप जातिगण नागर धाकड़ निवासीगण बमूलिया जोगियान तहसील अन्ता जिला बारां (अपीलांट्स)

बनाम

1. मोहन पुत्र चन्दा जाति नागर धाकड़ निवासी बमूलिया जोगियान
2. परमानन्द पुत्र बालमुकन्द जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान
3. उमाशंकर पुत्र बनवारी जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान
4. जशोदा पुत्री लाला जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान
5. बनवारी पुत्र लाला जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान
6. बालमुकन्द पुत्र लाला जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान
7. रमेशचन्द्र पुत्र लाला जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान
8. प्रमोद कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान तहसील अन्ता (रेंस्पोडेंट्स)
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बारां

अपील विरूद्ध इंतकाल नंबर 703 दिनांक 21.01.2022 ग्राम बमूलिया जोगियान नायब तहसीलदार अन्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

प्रकरण संख्या 09/2023

बउनवान

1. कृष्णमुरारी पुत्र
2. राजेन्द्र पुत्र
3. कलावती पुत्री
4. सोसरबाई पत्नि रामस्वरूप जातिगण नागर धाकड़ निवासीगण बमूलिया जोगियान तहसील अन्ता जिला बारां (अपीलांट्स)

बनाम

1. मोहन पुत्र चन्दा जाति नागर धाकड़ निवासी बमूलिया जोगियान
2. परमानन्द पुत्र बालमुकन्द जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान
3. उमाशंकर पुत्र बनवारी जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान
4. प्रमोद कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति गूजर निवासी बमूलिया जोगियान तहसील अन्ता
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बारां (रेंस्पोडेंट्स)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :- 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट (अपीलांट्स)
2. श्री बृजराज किशोर शर्मा एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट्स)

निर्णय दिनांक 20.09.2024

उक्त तीनो अपीलों में समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकारान होने से तीनों प्रकरणों में एक ही निर्णय पारित किया जाकर तीनों प्रकरणों में मूल निर्णय की प्रति संलग्न की गई है।

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2022 न्याय कानून एवं तथ्यों के तथा अपीलांटगण के अधिकारों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम बमूलिया जोगियान के इन्तकाल नंबर 703 दिनांक 21.01.2022 से ग्राम बमूलिया जोगियान की आराजी खाता संख्या 133 खसरा नंबर 1222/984 रकबा 0.78 है., 1225/1022 रकबा 0.11 है., 1227/393 रकबा 0.15 है., 392 रकबा 0.10 है., 411 रकबा 0.15 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.29 है. रेस्पो0 क्रम 1 के नाम तथा खाता संख्या 136 खसरा नंबर 1223/984 रकबा 0.79 है., 1226/1022 रकबा 0.43 है., 1228/393 रकबा 0.23 है., 394 रकबा 0.17 है. कुल 4 किता रकबा 1.62 है. अपीलांटगण के नाम उक्त आदेश से दर्ज हुई है तथा इसी प्रकार खाता संख्या 137 खसरा नंबर 1224/984 रकबा 0.30 है. रेस्पो. क्रम 2 ता 4 के नाम दर्ज हुई है। ग्राम बमूलिया जोगियान के इन्तकाल नंबर 702 दिनांक 21.01.2022 से ग्राम बमूलिया जोगियान की आराजी खाता संख्या 272 खसरा नंबर 1220/998 रकबा 1.09 है. अपीलांट्स के नाम दर्ज हुई। खाता संख्या 134 खसरा नंबर 1021 रकबा 0.32 है., 1219/998 रकबा 0.15 है. [illegible] रकबा 0.95 है. किता 3 रकबा 1.42 है. रेस्पो. क्रम 1 नाम दर्ज हुई। खाता [illegible] खसरा नंबर 1020 रकबा 0.29 है., 1221/998 रकबा 0.78 है. किता 2 रकबा 1.0[illegible] रेस्पो. क्रम 2 लगायत 8 के नाम दर्ज हुई। अपीलांटगण अल्पशिक्षित [illegible] उठाकर रेस्पोडेन्टगण द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रशासन गांव के संग शिविर में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

18.01.2022 को यह कहकर बुलाया गया कि अपने शामलाती खाते की आराजीयात का बंटवारा शिविर में करवा लेते हैं पूर्व में पूर्वजों के समय से चले आ रहे बाहमी विभाजन अनुसार जो जहां काबिज काश्त है उसी के अनुसार बंटवारा होगा अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण पर विश्वास कर शिविर में जाकर सहमति के हस्ताक्षर कर दिये परन्तु जब उक्त आराजीयात का बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया उसमें अपीलांटगण को जो आराजी दी गई वह उसके काबिज काश्त आराजी से भिन्न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलांटगण के अधिकारों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपीलांट्स का हिस्सा कम कर दिया तथा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा नहीं किया तथा रेस्पोडेन्टगण को अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी जमीन नहीं दी गई जिससे अपीलांट्स का हक हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। अतः अपीलांट्स की अपील्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.01.2022 निरस्त किया जाकर उक्त आदेश की पालना में खोले जाकर तस्दीक किये गये ग्राम बमूलिया जोगियान के नामान्तकरण संख्या 702 एवं 703 दिनांक 21.01.2022 निरस्त फरमाये जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त अनुसार विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

अपील्स पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट्स के अल्पशिक्षित होने का फायदा उठाकर राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रशासन गांव के संग अभियान में दिनांक 18.01.2022 को सहमति विभाजन का आदेश पारित करवा लिया। जबकि अपीलांट्स को बताया गया था कि उनके कब्जे काश्त की आराजी उनके नाम ही बंटवारे में दर्ज होगी, परन्तु उक्त आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 702 व 703 दिनांक 21.01.2022 से अपीलांट्स के कब्जे काश्त की आराजीयात उनके खाते दर्ज नहीं कर अन्य आराजीयात उनके खाते दर्ज की गई तथा अपीलांट्स के कब्जे काश्त की आराजीयात अन्य रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज की गई। अतः अपीलांट्स की अपील्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.01.2022 निरस्त किया जाकर उक्त आदेश की पालना में खोले जाकर तस्दीक किये गये ग्राम बमूलिया जोगियान के नामान्तकरण संख्या 702 एवं 703 दिनांक 21.01.2022 निरस्त फरमाये जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त अनुसार विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि प्रशासन गांव के संग अभियान दिनांक 18.01.2022 [illegible] अपीलांट्स की सहमति के आधार पर भी विभाजन का आदेश अधीनस्थ न्यायाल[illegible] किया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकार्ड में अपीलांटस् के [illegible] के हस्ताक्षर मौजूद हैं। दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने [illegible] बमूलिया जोगियान की आराजी खाता संख्या 8 कुल किता [illegible] भी सहमति से शपथ पत्र रूबरू गवाहान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

आलेखित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में दिनांक 18.01.2022 को उभयपक्ष की लिखित सहमति अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये हैं। अपीलांट्स की सहमति के आधार पर हुए विभाजन आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा प्रस्तुत अपील्स पोषणीय नही है। अतः अपील्स अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स ने स्वंय अपील में अंकित किया है कि वे स्वंय प्रशासन गांव के संग शिविर में दिनांक 18.01.2022 को उपस्थित रहे तथा उन्होने सहमति विभाजन पत्र पर हस्ताक्षर भी किये हैं। तथा उसी विभाजन पत्र की पुश्त पर तहसीलदार अन्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश की पालना में ही अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 702 व 703 दिनांक 21.01.2022 ग्राम बमूलिया जोगियान खोले जाकर तस्दीक किये गये हैं। तथा सहमति विभाजन के आधार पर जारी आदेश की अपील्स पोषणीय नहीं होने से सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त तीनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को लिखाये जाकर खुले न्यायालय में सुनाये गये।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:32 IST
Reason: SelfAttested